(IJRSSH) 2016, Vol. No. 6, Issue No. III, Jul-Sep **e-ISSN: 2249-4642, p-ISSN: 2454-4671**

मानवाधिकार के आइने में स्त्री शिक्षा

WOMEN'S EDUCATION WITH RESPECT TO HUMAN RIGHTS

डॉ0 अरुणा त्रिपाठी
एसोसिएट प्रोफेसर–समाजशास्त्र
रा.स्ना.महा. फतेहाबाद, आगरा

Dr Aruna Tripathi
Associate Professor, Dept of Sociology
Govt PG College, Fatehabad, Agra

सार संक्षेप/ ABSTRACT

मानवाधिकार एक व्यापक संकल्पना है जिसमें दुनिया के समस्त बंधनों को एक तरफ रखकर ईश्वर की सर्वोत्तम रचना 'मानव' को मात्र 'मानव' माना गया है। मानव के रूप में जन्म लेते ही वह मानवाधिकारों का हकदार हो जाता है संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वे अधिकार जो मानव को भय से मुक्ति दिलाने के लिये आवश्यक है मानवाधिकार कहे जा सकते हैं। नारी मानवता का आधारभूत अंग हैं इसलिये यदि वह सबल होगी तो आधी दुनिया अवश्य ही परिवर्तित होगी, क्योकि किसी भी विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है परंतु यह एक विडम्बना है कि समाज में उन्हें बराबर का दर्जा आज पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हुआ है। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिये अनेक योजनाएं बनाई गई। महिलाएं सदैव ही पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को संरक्षित रखने की एक महत्वपूर्ण आधारशिला थी और अनादिकाल तक रहेगी। किंतु आज भी हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी सशक्त प्रभावशाली और सुदृढ़ होनी चाहिये वह अभी भी पूर्णरूप से स्थापित नहीं हो पाई है आज भी उनकी स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्नतर बनी हुयी है निःसंदेह भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिये महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हें अपने अधिकारों की सही जानकारी नहीं हैं इस शोध पत्र के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का एक अल्प प्रयास ळें

मुख्य शब्द. *समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा का अधिकार।*

Human rights are a broad concept in which keeping aside all the shackles of the world, God's best creation "man" is considered only "human". He is entitled to human rights as soon as he is born as a human. In Short, those rights which are necessary to free man from fear can be called human rights. Woman is a fundamental part of humanity, so if she is strong then half the world will surely change because the participation of both men and women is necessary in the construction of any developed society. But it is an irony that they have not got equal status in the society today. After independence, many schemes were made by the government to improve the condition of women. Women were and will always be an important cornerstone of preserving family, social and cultural systems. But even today, the position of women in our society should be as strong, effective and strong, it is still not fully established. Even today their position remains inferior to that of men. Undoubtedly, in order to improve the status of women in India, women were also given equal rights as men but the reality is that they are not aware of their rights. We are taking a small effort to make women aware of their rights through this research paper.

Keywords: *Right to Equality, Rights Against Exploitation, National Education Policy, Right to Education*

वर्तमान समय में व्यक्तित्व के सार्वजनिक विकास के लिए, कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। जिसके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास समाज में असंभव है इन्हीं को मानव अधिकार कहा जाता है। हम व्यक्ति और मानवाधिकार को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय में राज्य से अधिक महत्व देने को आवश्यकता मानते हैं, इन अधिकारों को प्राप्त करने तथा इनका उपभोग करने हेतु और किसी विशेषता अथवा योग्यता की जरूरत नहीं है। यह अधिकार का भी परित्याग नहीं कर सकता है मानवाधिकार शब्द का प्रयोग इसकी सार्वभौम घोषणा होने के साथ ही 1948 में किया गया, जो मूलतः अट्ठारहवीं शताब्दी के मानव का अधिकार का पुन प्रवर्तित कर ऐसा बनाया गया. इसे पहले परम्परागत रूप से मानवाधिकार को हस्तान्तरणीय अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या मानव का अधिकार कहा जाता है । मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य है, व्यक्तियों के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, आर्थिक इत्यादि अधिकारों की रक्षा करने से है। जिससे देश में गरीबी का उन्मूलन हो और जीवन को अच्छी तरह से जीने में मदद करना है विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नुक्कड नाटक, नृत्य, कला साहित्य, विशेष अभियान. व्याख्यान, के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों को जानने में मदद करने और ध्यान केन्द्रित करने के लिये आयोजित किये जाते है। बहुत से कार्यक्रम लोगों एवं बच्चों के साथ ही साथ युवाओं को अपने मानवाधिकारों के बारे में सीखने के उद्देश्य से योजित किये जाते हैं कुछ विरोधी गतिविधियों का आयोजन उन क्षेत्रों के लोगों को अवगत कराने के ये किये जाते हैं। ''मानवाधिकार ऐसे संवैधानिक प्रत्याभूत है जो जीवन से संबंधित स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा को समाहित करते हैं तथा इनको अन्तर्राष्ट्रीय प्रसविदाओं में स्थान प्राप्त है । भारत में इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जाता है।''

प्राचीन काल से वैदिक कालीन धर्मग्रन्थों में मानव अधिकार संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं। विश्व के अधिकतर सभी प्रमुख धर्म मानव अधिकारों का समर्थन करते हैं। कई राज्यों की घोषणाओं और संवैधानिक प्रावधानों में मानव के मूल अधिकारों की अभिव्यक्ति पाई जाती

है।4 जुलाई 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषण की गई तथा वर्जिनिया बिल ऑफ राइट्स में पुरूषों के प्राप्त अधिकारों को शामिल किया गया। 1789 में फ्रांसीसी घोषणा के अनुसार यूरोपीय देशों में मानवधिकारों के संरक्षण की विधियों को शामिल करने का अधिकार है। 19वीं सदी में कई विकसित राज्यों ने यह महसूस किया कि मानव व्यक्तित्व ये तथा उनके संरक्षण को मानव अधिकार का रूप प्रदान किया जाए । इन सबसे यह स्पष्ट होता है कि वीं शताब्दी तक कई राज्यों में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये संविधान का निर्माण हो गया । मानवाधिकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थॉमस पेन ने किया था, जो अंग्रेजी में 'पुरूषों के अधिकार का' अनुवाद है। पुरूषों के अधिकार शब्द की अपेक्षा मानवाधिकार शब्द अधिक उचित है क्योंकि इसमें पुरूष एवं महिलाओं के समान अधिकार शामिल है।

मानवाधिकार, स्त्री शिक्षा और सरकारें अध्ययन का मुख्य उदेश्य मानवाधिकार की अवधारणा को स्पष्ट करके स्त्री शिक्षा के प्रति सरकार का रवैया और उनकी योजनाओं के प्रति जानकारी उपलब्ध करके यह ज्ञात करना है कि सरकारी योजनाओं और कानूनों ने स्त्री शिक्षा के विकास में कितना योगदान दिया और ये योजनाएँ कहाँ तक महिला विकास में उपयोगी साबित हो सकी है तथा स्त्री शिक्षा के लिए सरकार के दायित्व किस हद तक कारगर सिद्ध हुए है तथा स्वय स्त्रियाँ अपनी शिक्षा के प्रति किस प्रकार अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कर सकती है और अपना स्वंय का विकास कर सकती हैं ।

मानवाधिकार मनुष्य को प्राप्त वे न्यूनतम अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही मानवोचित गुण होने के कारण प्राप्त होते हैं । ये मानवाधिकार मानव गरिमा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इसमें से कुछ अधिकार शारीरिक, मानसिक व स्वास्थ्य के लिये प्राप्त है। प्राचीन सिद्धात एवं प्राकृतिक विधि जितने प्राचीन है उतने ही मानव अधिकारों की अवधारणा प्राचीन है। राजनैतिक समाज में सभ्य जीवन जीन के लिए शक्तियों के दुरूपयोग और अत्याचार ने व्यक्ति को मानव अधिकार की खोज के लिये प्रेरित किया। प्रकृति में मनुष्य एक बुद्धिमान व विवेकपूर्ण प्राणी है इसको कुछ ऐसे मूलभूत तथा आहरणीय अधिकार प्राप्त हैं, जिसे सामान्य रूप में मानव अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त रहते हैं । कुछ मानव अधिकार व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते है। ये मानव जाति के लिये प्रदत्त अधिकारी है, जिनकी मान–मर्यादा में कोई भेदभाव नहीं होता है और अपनी प्रकृति में समानता के सिद्धात पर आधारित है। इस प्रकार मानवाधिकार आज के समय में महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। वास्तव में मानवाधिकार एक सरल व सामान्य परन्तु व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत राजनैतिक अधिकार तथा आर्थिक सामाजिक और सास्कृतिक अधिकारों को भी शमिल किया गया है। मानवाधिकार हमारी प्रकृति में निहित है और इनके बिना हम व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते है।

मानवाधिकारों से तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में सम्मिलित एक भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित ऐसे अधिकारों से है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता उसकी वैयक्तिक गरिमा से संबंध रखते हैं, और जिनकी संविधान द्वारा गारंटी दी गई हो । यह वह । अधिकार है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संविदाओं में

शामिल किया गया है तथा जिसे भारत के न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सका है । अतः मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज से प्राप्त होने चाहिए । यदि समाज इन अधिकारों का सही प्रयोग करता है तो किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून या सगठन की सहायता की आवश्यकता नहीं है । मानवाधिकार वह है जिनका प्रयोग व्यक्ति को अपने समाज में करना चाहिए तथा राज्य के कानून और संस्थाओं के अन्तर्गत इनका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार की गई सार्वभौमिक घोषणा के अलावा कुल 30 अनुच्छेद हैं । यह सार्वभौमिक घोषणा सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए मानवाधिकारों के स्तर को बनाये रखने के लिये एक समान मानक के रूप में माना जाता है । इस घोषणा के अन्तर्गत (अनुच्छेद 1 से 21 तक) का संबंध राजनैतिक अधिकारों से है, जबकि (अनुच्छेद 22 से 27 तक) का संबंध आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों तथा शेष (अनुच्छेद 28 से 30 तक) का संबंध सामान्य अधिकारों से है । अतः मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है । चाहे उसका लिंग, वर्ग, जाति, धर्म कुछ न क्यों न हो । इनके माध्यम से व्यक्ति अपनी सामाजिक, आत्मिक, व्यक्तिगत आवश्यकताएं आदि की पूर्ति के सकता है।

मानव अधिकार मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं ।

1. प्राकृतिक अधिकार 2 नैतिक अधिकार 3. वैधानिक अधिकार

वैधानिक अधिकारों को तीन भागों में विभाजित किया गया है–

1. मूलभूत अधिकार, 2. राजनीतिक अधिकार 3. सामाजिक अधिकार

इनके अतिरिक्त आर्थिक अधिकार, सामाजिक सास्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, इनमें उचित जीवन स्तर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार आदि उल्लेखनीय है ।

भारत में मूल अधिकारी को व्याख्या व संदर्भित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय सविधान के भाग 3 में (अनुच्छेद 14 से 32) किया गया है । मूल अधिकारों की कुल संख्या पूर्व में सात थी । जो कि वर्तमान में छः है । सपत्ति के अधिकार को सन 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है । भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार निम्नलिखित है–

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18 तक)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22 तक)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 28 तक)
4. धार्मिक स्वतत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28 तक)
5. सास्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30 तक)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमें मानवाधिकार प्रदान किये गये है यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिये आवश्यक है क्योंकि मानव अधिकार मानव को स्वतंत्रता एवं गरिमा के साथ–साथ उसके शारीरिक नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण में सहायक

सिद्ध होते है । मानवाधिकार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये व्यक्ति के भौतिक तथा नैतिक विकास के लिये सही स्थिति प्रदान करने का काम करते है। इन अधिकारी के बिना सामान्यत कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास करने में सक्षम नहीं हो सकता । मानव जाति के लिए मानवाधिकार का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मानव अधिकार को कभी–कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अतर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्म अधिकार भी कहा जाता है । मानव परिवार के सभी सदस्यों की जन्मजाति गौरव और सम्मान तथा अहस्तातरणीय अधिकार की स्वीकृति ही विश्व में शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है इसलिए मानवाधिकार के इस आलोक में मनुष्य ने बोलने की आजादी, विश्वास एवं आस्था को संघर्षपूर्वक प्राप्त किया है । जनसाधारण की सबसे बड़ी आकाक्षा स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना व स्वतंत्रता पूर्वक बोलना और अपने विश्वास को स्वेच्छा से पालन करना है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार अति महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है । मानव अधिकार को विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि. विधिक प्रणाली तथा आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों में भिन्नता के कारण समझना अत्यत कठिन है । चूंकि मानव अधिकार का विचार मानवीय गरिमा के विचार से संबंधित है अतः उन सभी अधिकारों को मानव अधिकार कहा जा सकता है । सन् 1993 में वियना में आयोजित विश्व मानव अधिकार सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि सभी मानव अधिकार व्यक्ति की गरिमा और योग्यता से संबंधित होते है । मानवाधिकार व्यक्ति तथा मूल स्वतंत्रताओं का केन्द्रीय विषय है । अतः मानवाधिकार चाहे वो प्रकति द्वारा प्रदत्त हो या विधि द्वारा वर्तमान में उन्हें समझकर उन्हें सही तथा सार्थक अर्था में समझकर उपयोग करने की आवश्यकता है । वर्तमान में शिक्षा रूपी मानवाधिकार भारतीय समाज में स्त्रियों को प्राप्त तो हैं परंतु उसकी मात्रा अपर्याप्त है । अत. शिक्षा रूपी मानवाधिकार पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं को भी प्राप्त हो । वर्तमान समय की यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

समूचे विश्व सहित भारत में भी महिलाओं की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही है, और सफल भी हो रही है । बातें चाहे हम राजनीति की करें या व्यवसाय की, बात मीडिया की हो या भारी उद्योग, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, अन्तरिक्ष और वैज्ञानिक शोध की हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी योग्यता और दक्षता साबित की है । जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं की प्रभावी उपस्थिति न हो।

महिलाएं आज तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। साक्षरता को किसी भी सामाजिक आर्थिक विकास का प्रतीक माना जाता है। सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक चेतना तथा आर्थिक विकास के लिए उच्च साक्षरता दर और शिक्षा की गुणवत्ता परम आवश्यक है लेकिन दोनों ही मोर्चा पर भारत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है । महिलाओं की शिक्षा की स्थिति तो और भी खराब हैं पहले तो प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकन कराने वाले विद्यार्थियों में भी महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। वैदिक काल में महिलाएं समाज में विशेष

स्थान पर प्रतिष्ठित थी यजुर्वेद के अनुसार वैदिक काल में महिलाओं को भी वेद अध्ययन का अधिकार था और कन्याएं भी बालकों के समान ब्रहाचर्य धारण करके शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ब्रिटिश काल में 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा का प्रावधान किया और गर्वनर जनरल मैकाले द्वारा लाये गए मैकाले–मिनिट्स से शिक्षा व्यवसाय को कुछ गति मिली। सन् 1854 में वुड्स डिस्पैच के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा विकास कार्यक्रम को मान्यता प्रदान की। इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या तथा सेवा योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। सन 1992 से 1997 तक के दौर में समाज सुधार और महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों से लड़कियों को लड़कों के समान समझने की भावना का विकास हुआ।

वर्तमान समय में अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ–साथ महिला शिक्षा के मामले में भी लगातार गुणात्मक सुधार हुआ। लेकिन इसे किसी भी दृष्टि से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। वस्तुत भारत में महिला शिक्षा की प्रगति बहुत ही धीमी गति से हुई है। दरअसल भारत में भी कई ऐसे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारण है जिनके कारण महिलाएं शिक्षा प्रणाली में भाग नहीं ले पाती है। आजादी के बाद भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। वर्तमान तकनीकी युग में भी यह स्थिति है कि कक्षा 1 से 5 तक तीन लड़कियों में से केवल 1 लड़की स्कूल जाती है और उच्च माध्यमिक स्तर पर 8 में से केवल 1 लड़की ही शिक्षा ग्रहण कर पाती है। घर में छोटे भाई–बहनों के पालन–पोषण, घरेलू काम–काज और पैसे कमाने के लिये दूसरों के घरों में काम आदि निम्न वर्ग की लडकियों द्वारा ही किया जाता है। इसलिये इनके माता–पिता इन्हें स्कूल भेजने से कतराते हैं।[12] एक बार नामांकन के बाद बीच में ही पढ़ाई छुड़वा देने को समस्या भी लड़कियों में अधिक पायी जाती है शुरू में उत्साहित होकर लड़कियों को प्रवेश तो दिला दिया जाता है लेकिन जब उनकी पढाई के कारण घर के सामान्य कामकाज व आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है तो पढाई छडवा दी जाती है। यही कारण है कि लगभग 70 प्रतिशत लड़कियाँ प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल नहीं जा पाती है । चूंकि गाँव तथा निम्नवर्गीय परिवारों में कम उम्र की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है । इसलिये उच्च माध्यमिक स्तर पर भी लडकियों की शिक्षा में काफी कठिनाई आती है । कुल नामाकन की केवल 12 प्रतिशत लड़कियों ही उच्च माध्यमिक स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रख पाती है । स्त्री शिक्षा में सरकारी प्रयास भारत के चहुमुखी विकास के लिये विभिन्न प्रकार के योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है। लेकिन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के निष्कर्षों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि महिलाओं में शिक्षा का प्रसार पुरूषों की अपेक्षा काफी कम है।

वर्ष	कुल साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	पुरुष साक्षरता दर
1951	18.33	8.86	27.16
1961	28.31	15.34	44.46
1971	34.45	21.97	45.95
1981	43.56	29.75	56.37
1991	52.17	39.42	63.86
2001	65.38	54.16	64.13
2011	79.47	62.29	78.43

आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि हमारे यहाँ साक्षरता दर में तो लगातार वृद्धि हई है । लेकिन जनसख्या बढ़ने के कारण निरक्षरों की कुल संख्या भी तेजी से बढ़ी है । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिला साक्षरता में काफी अंतर हैं । शहरों में महिला साक्षरता की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की महिला साक्षरता बेहद कम है इन सबकों बढ़ाने के लिये सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिये कई तरह के प्रयास कर रही है। सन् 1986 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई जिसमें कहा गया था कि शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बुनियादी सुधार लाने के लिये एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा और प्राचीन काल से चली आ रही विकतियों और विषमताओं को समाप्त करने के लिये महिलाओं को सुविचारित समर्थन दिया जाएगा । महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने के लिये शिक्षा पद्धति द्वारा एक ठोस भूमिका निभाई जाएगी । इस शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षण संस्थाओं को महिला विकास से संबंधित सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिये प्रेरित किया जाएगा और महिला–निरक्षरता दूर करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी । इसके अलावा महिला प्राथमिक शिक्षा में आने वाली रूकावटों को दूर करने के प्रयास भी किये जाएंगे विभिन्न स्तरों पर जीविका संबंधी तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढाई जाएगी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला शिक्षा से संबंधित दावे तो बहुत किए गए थे परन्तु इन कमियों को ईमानदारीपूर्वक ठोस प्रयत्नों के माध्यम से निराकरण कर महिलाओं को स्वच्छ, भय–मुक्त एवं उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान कराया जा सकता है। नई जनसंख्या नीति में 14 वर्ष की आय तक स्कूली शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की बात कही गई थी । इसी परिप्रेक्ष्य में अब प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। 86 वें सविधान संशोधन (2002) द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाते हुए मौलिक अधिकारों का दर्जा प्रदान किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 21 (1) के अनुसार सरकार राज्य द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगी। इस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में एक नया अनुच्छेद 51(1) जोड़कर अभिभावकों से उपेक्षा की गई है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजेगें । हरियाणा व उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में दो बालिकाओं के लिये स्नातक स्तर तक की शिक्षा मुक्त कर दी गई है । इसके अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना,

अनौपचारिक शिक्षा योजना, प्राथमिक विद्यालयों हेतु मध्याहन भोजन योजना (मिड डे मिल), प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, किशोरी बालिका योजना, बालिका समृद्धि योजना आदि।

केन्द्र सरकार के अलावा विभिन्न राज्य सरकारें भी महिला विकास हेतु कार्य कर रही है लेकिन धन की कमी तथा जागरूकता के अभाव के चलते ये योजनाएँ बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं । स्पष्ट है कि स्त्री के लिये शिक्षा एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार की श्रेणी में रखा गया है और स्त्री शिक्षा विकास के लिये सरकार द्वारा प्रयास तो किये जा रहे हैं लेकिन कुछ कमियों के चलते ये योजनाएँ कारगर साबित नहीं हो पा रही है। आवश्यकता इस बात की है, कि लंबी चौड़ी योजनाएँ बनाने और चलाने के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप ही योजनाएँ बनाई जाएं और जो योजनाएँ बनाई जाए उन्हें समुचित रूप से लागू किया जाए। यदि कोई योजना कारगर ढंग से लागू नहीं हो पाती है अथवा अपेक्षित नतीजे नहीं दे पाती है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

महिलाओं को वास्तव में शिक्षित और शक्तिशाली बनाने के लिये सबसे पहले समाज की सोच के दायरे को बढ़ाना होगा । इसके लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयास नाकाफी है । इस दिशा में सरकार को अभी और कानून बनाने व इनका पालन करने की आवश्यकता है । शिक्षा रूपी दीपक द्वारा समाज में फैले अशिक्षा रूपी अंधकार को मिटाना होगा। जब तक महिलाओं की शिक्षा के पति समाज का दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं होता तब तक सरकार और कानून द्वारा स्त्री शिक्षा की दिशा में किया गया कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सार्थक नहीं होगा । इसके लिए शिक्षा सुचारू रूप से महिलाओं तक पहुँचायी जाए, अपने अधिकारों को सभी महिलाएं पहचाने व अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति महिलाओं को स्वयं जाग्रत करनी पड़ेगी । तभी सही मायने में स्त्री शिक्षा की स्थिति को सुधारा जा सकेगा लेकिन इन सब के लिये सरकार को भी सिर्फ कानून और योजनाएं बनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर स्तर की महिला को जागरूक करने के लिये इन कानूनों से महिलाओं को परिचित कराने व योजनाओं से लाभ उठाने के ऐसे प्रयास करने चाहिए । जिससे समाज व देश की हर महिला शिक्षित हो । काफी हद तक ऐसा हुआ भी है लेकिन फिर भी हमारे देश में आज भी कई ऐसी महिलाएं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है जिनके नाम प्रमुख रूप से श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सुनीता विलियम्स, किरण बेदी. चंदा कोचर, मैरी कॉम, अरूधति राय सानिया मिर्जा कल्पना चावला आदि। भारतीय महान महिलाओं ने हमारे देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की प्रास्थिति सुधारने हेतु अनेक सार्थक कदम उठाए गये, भारतीय संविधान में वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारतीय संसद ने वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया।

पिछले कुछ दशकों से सरकारी संस्थाओं एव संगठनों तथा सार्वभौमिक सरकारों के सम्मुख मानव अधिकारों और महिलाओं की शिक्षा का प्रश्न सर्वोपरि रहा है जिसमें अनेक उपयुक्त अभिसंधियों और अभिसमयों का अनुमोदन किया गया है तथा निःशुल्क विधिक सहायता का भी बड़ा योगदान रहा है। सरकारें महिला अधिकारों के संरक्षण उनकी शिक्षा, उनके विकास के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। परंतु फिर भी अभी उस

सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाई है, जिसकी अपेक्षा की गयी थी आज आवश्यकता है महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए एवं पुरूष वर्ग को भी इसमें अपनी सहभागिता निभानी चाहिए तभी शिक्षा संबंधी महिला के मानव अधिकार की अवधारणा साकार साबित होगी।

संदर्भग्रंथ सूची

1. *लोढा, डॉ. संजय व चतुर्वेदी, डॉ. अरूण, भारत में मानव अधिकार पचशील प्रकाशन,जयपुर, 2005, पृ0 119*
2. *मिश्रा, एम.के.व शर्मा, रमा, महिला और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली. 2010, पृ0 25*
3. *सैनी, डॉ रामसिंह, समकालीन परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के विविध आयामष, गगनदीप पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2007. पृ0 11*
4. *डॉ. विप्लव, "भारत में महिला मानवाधिकार, राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरट (यूपी.), 2012 पृ0 151*
5. *शर्मा, श्रीमती पूजा, "महिलाए एव मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012, पृ0 29*
6. *सिंह राजलाला, मानव अधिकार एवं महिलाएँ, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2006, पृ0 69*
7. *असारी, एमए.. "महिला और मानवाधिकारष, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000, पृ0 76*
8. *सेगर, शैलेन्द्र. "भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों, गुजर प्रकाशन, दिल्ली, 2009, पृ0 51*
9. *सईद, एस.एम., भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, 2008, पृ0 401*
10. *कपूर, प्रो प्रोमिला, स्त्री शिक्षा का मूल्याकंन, हरि प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ0 59*
11. *चौहान, उमा, सशक्ति नारी और समाज, एवरग्रीन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2010. पृ0 26*
12 *स्याल, शान्ति कुमार, नारी अधिकार, आत्मा राम एवं संस, दिल्ली, 2000, पृ0 49*
13. *चतुर्वेदी, प्रो पी एन, "भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास". मेट्रो बुक्स, दिल्ली. 2012.पृ0 67*
14. *कौर, जगदीश. महिलाओं में शिक्षा के आधार हिन्द पब्लिकेशन, लुधियाना. 2007, पृ0 41*
15 *कश्यप, डॉ. आलोक कुमार, भारतीय समाज में नारी दशा और दिशाष. आर्या पब्लिकेशन, नई दिल्ली. 2012, पृ० 11*
16. *पाठक, पी डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 2011, पृ0 55*
17 *जायसवाल, पूनम, मध्यप्रदेश शासन की कल्याणकारी योजनाएं एवं विकास कार्यक्रम, पूणेकर पब्लिकेशन्स खजूरी बाजार, इन्दौर, 2015, पृ0 45*
18. *शर्मा, विरेन्द्र प्रकाश, भारत में समाज, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2004, पृ0 91 119 वाशिष्ट, प्रो. सरिता, महिला सशक्तिकरण, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2010, पृ0 45*